न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11/2017 G.C.M.S. No. 2017/00079 दर्ज दिनांक : 24.01.2017

अपीलार्थिगण:

1. बाबु पुत्र उस्मान जी,
2. सत्तार पुत्र उस्मान जी, जाति रंगरेज मुसलमान, निवासी खिवाड़ा, तहसील रानी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. असगर पुत्र उस्मान जी,
2. अकबर पुत्र उस्मान जी जाति रंगरेज मुसलमान, निवासी खिवाड़ा, तहसील रानी, जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी।
4. ग्राम पंचायत खिवाड़ा जरिये सरपंच तहसील रानी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर, देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2000 बअनवान बाबु वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2009

पैरोकार:–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री ज्योति कुमार शर्मा, श्री तरूण उप्पाध्याय रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।
3. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 03।
4. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्र सिंह रेस्पोडेण्ट संख्या 04, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 30.10.2025

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर, देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/20000 बअनवान बाबु वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2009 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 2 द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट्स 03 व 04 के विरूद्ध एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम खिवाड़ा के पुराने खसरा नम्बर 555, 557 से 560 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा पर वादीगण व उनके मृत पिता का सम्वत् 2011 से कब्जाकाश्त लगातार चला आ रहा है। किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी से बने नये खसरा नम्बर 1382 रकबा 1.46 हैक्टयर है। खसरा नम्बर 1380 रकबा 10.38 हैक्टयर

राजस्व अपील प्राधिकारी

में से 2.71 हैक्टयर है, को वादीगण के खातेदारी दर्ज नहीं किये गये है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं प्रतिवादी को बेदखली की कार्यवाही से जरिये निषेधाज्ञा से पांबद किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया। जिसे विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से वादीगण का वाद खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु कोई मौका नहीं दिया तथा यह कहते हुये अपीलांट का दावा खारिज कर दिया कि यह वादग्रस्त आराजी टिनेन्सी अधिनियम की धारा 16 के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकती क्योकि इस आराजी की किस्म गैर मुमकीन गोचर है, जो आदेश रेकर्ड प्रतिकुल है ओर ऐसा आदेश बिना भूमिधारी की साक्ष्य सफाई में ऐसा कोई दस्तावेज ही साबित नहीं है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को स्वीकारा है कि अपीलांट का पुराना कब्जा है, जैसे के निर्णय के पेज संख्या 2 की अंतिम पंक्ति में उल्लेख है लेकिन निर्णय के पेज संख्या 3 में गोचर भूमि कहकर अपीलांट का जो दावा खारिज किया। अधीनस्थ भूमिधारी ने अपनी और से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे साबित होता हो कि यह जमीन गोचर है और वो भी अपने निर्णय में यह लिखना कि कदीम से गोचर भूमि है जबकि आज की जमाबंदी संवत 2070 से संवत 2073 में आज भी बारानी जमीन है जो काबिल काश्त है और उसके लिये कोई धारा 16 के प्रावधान लागु बारानी में नहीं होते है फिर भी कानून से पंरे जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। ग्राम पंचायत न्यायालय ने पक्षकार बनने के लिये आवेदन किया ओर अदालत ने तारीख 06.02.2009 को पक्षकार भी बनाया लेकिन स्वंय ग्राम पंचायत ने भी अपनी उपस्थिति नहीं दी और तारीख 18.02.2009 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई इसलिये ग्राम पंचायत ने भी यह भूमि गोचर भूमि होना साबित नहीं किया ओर न ही भूमिधारी की ओर से कोई साक्ष्य सफाई के तौर पर गवाह ही पेश हुआ। अपीलाधिन निर्णय डिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.11.2016 को अपीलांट सत्तार को तब हुई जब पटवारी हल्का खिवाड़ा ने अपीलांट को यह कहा कि थानेदार जी आपने खेती तो की है लेकिन यह सरकारी भूमि है इसलिये फसल कुर्क करनी पड़ेगी ओर बाद में निलामी करनी पड़ेगी तब अपीलांट ने कहा कि इस जमीन का दावा देसुरी में चुन्नीलाल जी वकील साहब के पास चल रहा है तब पटवारी ने कहा कि कोई सबुत हो तो लेकर आना तब अपीलांट सत्तार खॉ देसूरी गया तब पता चला कि वकील साहब चुन्नीलाल जी का देहान्त हो गया है ओर उसके लड़के दिनेश कुमार ने वकालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

छोड़ दी है तब न्यायालय में संबंधित राजस्व लिपिक से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि आपका दावा 26.02.2000 को खारिज हो गया है तब अपीलांट ने आवेदन संख्या 500 उसी रोज पेश किया जो नकल अपीलांट को उसी रोज प्राप्त हो गई फिर अपीलांट ने अपने भाईयो से सम्पर्क किया तब असगर व अकबर ने कहा हमारे को इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे को जमीन चाहिये तो तुम झगड़ो हमने तो कभी वकील साहब से सम्पर्क किया नहीं। अपीलांट बाबु वृद्धावस्था में है चलने फिरने में असमर्थ है इसलिये उसने भी सम्पर्क नहीं किया। अपीलांट सत्तार खा पुलिस में नोकरी करता रहा हाल ही गत माह सेवा निवृत हुआ है। अधिवक्ता ने मुकदमे के फैसले संबंधी इत्तला नहीं की ओर उनका देहान्त हो गया इसलिये बिना जानकारी के उक्त डिक्री की अपीलांट ने अपील की ही नहीं। अधिवक्ता की गलती का दण्ड अपीलाट को नहीं भुगताया जाये ओर वैसे निर्णय डिक्री उपखण्ड अधिकारी पद के तौर पर दी है जो क्षेत्राधिकार विहिन है जिसे कभी भी ऐसे अवैध निर्णय डिकी को चुनौती दी जा सकती है ऐसी कानून की मंशा है इसलिये जानकारी से अपीलांट की अपील म्याद में शुमार की जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें। तथा ग्राम खिवाड़ा के वर्तमान खसरा नम्बर 1382 रकबा 1.46 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1380 के 10.38 हेक्टेयर में से 2.71 हेक्टेयर की खातेदारी उद्घोषणा अपीलांट के पक्ष में किये जाने की डिकी प्रदान करावे।

अपील में म्याद के बिन्दुओं पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद/दावा प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.02.2009 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 24.01.2017 को प्रस्तुत की। जो लगभग 2890 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ पेश की गई।

2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलंबकाल के कारण व माफ करने के लिए मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि अपीलाधिन निर्णय डिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.11.2016 को अपीलांट सत्तार को तब हुई जब पटवारी हल्का खिवाड़ा ने अपीलांट को यह कहा कि थानेदार जी आपने खेती तो की है लेकिन यह भूमि सरकारी भूमि है इसलिये फसल कुर्क करनी पड़ेगी ओर बाद में निलामी करनी पड़ेगी तब अपीलांट ने कहा कि इस जमीन का दावा देसूरी में चुन्नीलाल जी वकील साहब के पास चल रहा है तब पटवारी ने कहा कि कोई सबुत हो तो लेकर आना तब अपीलांट सत्तार खॉ देसूरी गया तब पता चला कि वकील साहब चुन्नीलाल जी का देहान्त हो गया है ओर उसके लड़के दिनेश कुमार ने वकालत छोड़ दी है तब न्यायालय में संबंधित राजस्व लिपिक से सम्पर्क किया तो उन्होनें बताया कि आपका दावा 26.02.2000 को खारिज हो गया है तब अपीलांट ने नकल हेतु उसी रोज आवेदन पेश कर नकल प्राप्त कर अपने भाईयो से सम्पर्क किया तब असगर व अकबर ने कहा हमारे को इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे को जमीन चाहिये तो तुम झगड़ो हमने तो कभी वकील साहब से सम्पर्क किया नहीं। अपीलांट बाबु वृद्धावस्था में है चलने फिरने में असमर्थ है इसलिये उसने भी सम्पर्क नहीं किया। अपीलांट सत्तार खा पुलिस में नोकरी करता रहा हाल ही गत माह सेवानिवृत हुआ है। अधिवक्ता ने मुकदमे के फैसले संबंधी इत्तला नहीं की ओर उनका देहान्त हो गया इसलिये बिना जानकारी के उक्त डिक्री अपीलांट ने अपील नहीं की। अधिवक्ता की गलती का दण्ड अपीलाट को नहीं भुगताया जाये ओर वैसे निर्णय डिक्री उपखण्ड अधिकारी पद के तौर पर दी है जो क्षेत्राधिकार विहिन है जिसे कभी भी ऐसे अवैध निर्णय डिकी को चुनौती दी जा सकती है ऐसी कानून की मंशा है इसलिये जानकारी से अपीलांट की अपील म्याद में शुमार की जाना न्यायसंगत है।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील लगभग 8 वर्ष अर्थात लगभग 2890 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण के गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट सहित रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात जो सिवायचक गौचर भूमि है, में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी

पाली

Scanned with OKEN Scanner

बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट्स वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चुन्नीलाल जैन व श्री दिनेश कुमार जैन बतौर पैरोकार नियुक्त किये गये। जिनके द्वारा प्रकरण पैरवी की जाती रही तथा विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलाण्ट की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित की गयी। पक्षकार का यह कर्त्तव्य है कि वह नियमित रूप से अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहें तथा न्यायालय में जैरकार प्रकरण से अद्यतन रहें। अतः यह स्पष्ट है कि प्रकरण में विलम्ब अपीलाण्ट की लापरवाही व उदासीनता के कारण हुआ। अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा विलम्ब के लिए दर्शित कारण काल्पनिक व आधारहीन है। जो युक्तियुक्त सद्भाविक व विश्वसनीय नहीं है।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

   1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
   2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
   3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law-then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent

has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **2890 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः अपीलाण्ट्स की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय वं डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **2890 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफी योग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय आज दिनांक **30.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner